महत्वपूर्ण

संख्या-91/सैंतीस-2-2019-5(2)/2018

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-11 जनवरी, 2019

विषयः- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में वृहद् गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु निर्धारित मानकों में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-01/सैंतीस-2-2019-5(2)/2018, दिनांक-02.01.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासनादेश संख्या-77/2018/2324/सैंतीस-2-2018-5(2)/2018, दिनांक-28.06.2018 द्वारा स्वीकृत रू0-120.00 लाख की धनराशि से वृहद् गो-संरक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु निम्नलिखित कार्य सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं:-

1. 04 नग गोवंश शेड 9225.00 वर्ग फिट।
2. 01 नग भूसा गोदाम 1000.00 वर्ग फिट।
3. कार्यालय/औषधि कक्ष/स्टोर 265.00 वर्ग फिट।
4. 03 चरहियाँ 645.00 वर्ग फिट।
5. सोलर वाटर पम्प, 10000 लीटर पी0वी0सी0 वाटर टैंक।
6. वाटर पाइप लाइन आवश्यकतानुसार।

शासन के उक्त पत्र दिनांक-02.01.2019 में **यह भी निर्देश** हैं कि शासनादेश संख्या-77/2018/2324/सैंतीस-2-2018-5(2)/2018, दिनांक-28.06.2018 के प्रस्तर-(1) में निर्धारित न्यूनतम मानकों को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे। शासनादेश दिनांक-28.06.2018 के प्रस्तर-(1) में निर्धारित न्यूनतम मानकानुसार अथवा उससे बड़े मानक के वृहद् गो संरक्षण केन्द्र की स्थापना संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे तथा निर्धारित मानकों के अनुसार केन्द्रों की स्थापना किये जाने के लिए आवश्यकता होने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था विभिन्न निधियों से डवटेलिंग करके की जानी थी।

2- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-01/सैंतीस-2-2019-5(2)/2018, दिनांक-02.01.2019 में शासनादेश दिनांक-28.06.2018 द्वारा स्वीकृत रू0-120.00 लाख की धनराशि से वृहद् गो-संरक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु उल्लिखित कार्य सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा कराये जायेंगे। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य कार्य इसी कार्यदायी संस्था अथवा अन्य एजेंसी से सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा विभिन्न निधियों से डवटेलिंग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था कर कराये जायेंगे।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-91(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
2. अध्यक्ष/सचिव, उ0प्र0 गोसेवा आयोग, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, गोमतीनगर, लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

PMB

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)

अनु सचिव।